




सदैव यह प्राविधान रहेगा कि जहाँ कहीं भी इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "प्रथम पक्ष" एवं "द्वितीय पक्ष" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ-वहाँ प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उनके उत्तराधिकारी, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, विधिविहित प्रतिनिधि शामिल व पाबन्द होंगे।

विदित हो कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो 83, मॉडल कॉलोनी, आराघर चौक, देहरादून पर स्थित है व सेफगेट मेडिकल सेन्टर के नाम से विख्यात है। चिकित्सालय का निर्माण ग्राउंड तल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व चतुर्थ तल पर है जिसके निर्माण का क्षेत्रफल लगभग प्लाट एरिया 401.31 वर्ग मीटर, है, जिसको संलग्न मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक सेवायें संचालित हो रही हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की आशंका नहीं है। द्वितीय पक्ष का उपरोक्त चिकित्सालय राज्य सरकार व भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के अनुसार प्रशिक्षण कार्य करने के मानको को पूरा करता है तथा चिकित्सालय वर्तमान में 50 बैड क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के अनुसार क्रियाशील है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष एक शैक्षिक संस्थान है जो नर्सिंग पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और फार्मसी पाठ्यक्रम के सभी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है, संस्थान द्वारा चिकित्सालय निर्माण के अभाव में उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए प्रथम पक्ष उक्त कोर्सेस के प्रशिक्षण हेतु द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय की आवश्यकता है। इस कारण प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से 05 वर्षों (सितम्बर 2024-25 से अगस्त 2028-29 तक) के लिये उसके चिकित्सालय में प्रशिक्षण के लिये प्रस्ताव किया, जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह 50 शैय्यायें प्रथम पक्ष (श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पौधा, देहरादून) के लिए आवंटन किया गया है तथा किसी अन्य संस्थान को शैय्यायें आवंटित नहीं की जायेगी। इसलिए यह स्मृति पत्र विलेख अंकित किया जा रहा है।

**अतः यह स्मृति पत्र निम्न दर्शाता है:-**

1. यह कि द्वितीय पक्ष एक निजी चिकित्सालय है, जो सम्पत्ति स्थित PROP NO 307/235(MUNICIPAL NO.9 & 11 AND 308/1/237/1) OLD No. 83,94/1, आराघर, जनपद देहरादून पर स्थित है व सेफगेट मेडिकल सेन्टर के नाम से विख्यात है, जो एक चिकित्सालय है, जिसके भूतल में निर्मित क्षेत्रफल 233.24 वर्ग मीटर, प्रथम तल में निर्मित क्षेत्रफल 219.46 वर्ग मीटर, द्वितीय तल में निर्मित क्षेत्रफल 219.46 वर्ग मीटर, तृतीय तल में निर्मित क्षेत्रफल 183.06 वर्ग मीटर जिसके निर्माण का कुल क्षेत्रफल लगभग 621.98 वर्गमीटर तक विस्तृत है।
2. यह कि प्रथम पक्ष नर्सिंग पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और फार्मसी पाठ्यक्रम के लिये शैक्षिक कार्य का संचालन अपने इंस्टीट्यूट से करेगा तथा उक्त कोर्सेस के प्रशिक्षण हेतु द्वितीय पक्ष के चिकित्सालय का उपयोग करेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने चिकित्सालय को प्रथम पक्ष द्वारा संचालित उपरोक्त कोर्सेस के लिये प्रशिक्षण हेतु 05 वर्षों (सितम्बर 2024-25 से अगस्त 2028-29 तक) के लिए उपलब्ध करायेगा जिसके प्रतिफल का प्रकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर पक्षकारों के मध्य तय पाया जायेगा तथा इस संस्थान के अलावा किसी भी अन्य संस्थान (नर्सिंग, पैरामैडिकल व फार्मसी) के साथ सहमति या अनुबन्ध नहीं करेगा।



में 50 बैड क्षमताधारी है तथा वर्तमान में चिकित्सालय भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार क्रियाशील है।

5. यह कि उपरोक्त समयावधि 05 वर्ष (सितम्बर 2024-25 से अगस्त 2028-29 तक) की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि पक्षकार चाहें तो दोनों पक्षों की सहमति से समयावधि आगे बढ़ाई जा सकती है तथा यदि कोई भी पक्षकार इस स्मृति पत्र को निरस्त कराना चाहे तो ऐसा पक्षकार एक कैलेण्डर वर्ष पूर्व दूसरे पक्ष को लिखित में सूचित करेगा।
6. यह कि चिकित्सालय के लिये यदि प्रदूषण विभाग का सर्टिफिकेट आदि लिया जायेगा तो उसके वैधानिक शुल्क का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
7. यह कि प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष को CMO का Clinical Establishment Certificate व Pollution Control Board Certificate एवं MPCC 50 शैय्याओं का शुल्क देना आवश्यक होगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष ने उपरोक्त चिकित्सालय का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है और वह पूर्णतः सन्तुष्ट होकर वर्तमान विलेख अंकित व निष्पादित कर रहा है।
9. यह कि यह विलेख पक्षकारों के वारिसान, हित प्रतिनिधि, स्थानापन्न, आदि-आदि पर भी लागू व प्रभावी रहेगा।

अतः यह स्मृति पत्र आज दिनांक: 03-10-2024 को स्थान देहरादून में साक्षीगण के समक्ष अंकित कर दिया है ताकि साक्ष्य रहे और समय पर काम आवे।

ह0 प्रथम पक्ष

श्रीनिवास नौटियाल, अध्यक्ष

श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एण्ड  
टेक्नोलॉजी, ग्राम मझौन, पो0आँ0 पौधा वाया प्रेमनगर,  
देहरादून, उत्तराखण्ड  
(आधार संख्या:- 999897747296)

गवाह-1

डॉ0 शिवानन्द पाटिल, निदेशक

श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एण्ड  
टेक्नोलॉजी, ग्राम मझौन, पो0आँ0 पौधा वाया प्रेमनगर,  
देहरादून आधार संख्या- 717354337064

ह0 द्वितीय पक्ष

डा0 सुखविन्दर सिंह, डायरेक्टर - हॉस्पिटल  
ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, सेफगेट हैल्थ केयर  
प्राइवेट लिमिटेड, 83, मॉडल कॉलोनी,  
आराघर चौक, देहरादून उत्तराखण्ड  
(आधार संख्या:-255066442095)

गवाह-2

एडवोकेट कुलदीप सिंह,  
चैम्बर न0 27 ब्लॉक: 2 प्रथम तल निकट  
बार एसोसिएशन हॉल, देहरादून  
आधार संख्या:-255066442095

ATTESTED

(RAJENDER SINGH NEGI)  
Advocate & NOTARY  
Chamber No. 92, 1st Floor  
Opposite Bar Office  
Dehradun (Uttarakhand)  
Dehradun (Uttarakhand)